कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

पत्रांकः– 2203 / 1316 /जलकल/न0पा0प0फ0 (2022–23) दिनांकः– 22/08/2022

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के जलकल अनुभाग में 15वां वित्त आयोग (Tied Grant) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए द्वितीय किस्त की धनराशि के अन्तर्गत जलापूर्ति व्यवस्था सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड अनुभवी फर्मो से पृथक–पृथक ई–निविदाएं दिनांक 16.09.2022 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 22.09.2022 सांय 05:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 23.09.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेंगी। इच्छुक फर्म/ठेकेदार निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई–प्रोक्योरमेन्ट http://etender.up.nic.in पर ऑनलाइन क्रय कर डाउनलोड एवं अपलोड कर सकते है।

कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मात्रा	निविदा फार्म का मूल्य + 18% जी.एस.टी. (Non-refundable)	आगणन धनराशि GST रहित	धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत	कार्य की अवधि
01	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत नालों में पानी की गुणवत्ता सुधार हेतु बायोरेमिडिएशन/ फाइटोरेमेडिएशन का कार्य।	01 Job	5000.00+GST	7376683.70	147540.00	06 माह
02	वार्ड नं0–09 मोहल्ला पक्का तालाब तिराहा स्थित नलकूप के 230 मीटर डीप का रिबोरिंग का कार्य।	01 Job	4000.00+GST	3481684.00	69640.00	03 माह
03	मोहल्ला गढ़ीवा (रियाज कालोनी) रिबोर नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 200 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	01 Job	1500.00+GST	705190.78	14110.00	01 माह
04	मोहल्ला रामगंज पक्का तालाब रिबोर नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 200 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	01 Job	1500.00+GST	748958.46	14980.00	01 माह
05	मोहल्ला तुराब अली का पुरवा (नार्मल स्कूल के पास) रिबोर नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 200 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	01 Job	1500.00+GST	667314.62	13350.00	01 माह
06	मोहल्ला जयराम नगर जोनिहा चौराहा रिबोर नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 200 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	01 Job	1500.00+GST	667314.62	13350.00	01 माह
07	नई तहसील (बुलट चौराहा) के पास रिबोर नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 200 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	01 Job	1500.00+GST	667314.62	13350.00	01 माह
08	वार्ड नं0 15 मोहल्ला मसवानी में नलकूप बोरिंग का कार्य।	01 Job	4000.00+GST	3524602.00	70500.00	03 माह

उपरोक्त कार्यों के नियम व शर्तें नगर पालिका परिषद, फतेहपुर की वेबसाइट http://nppfatehpur.com तथा http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा एवं वांछित अभिलेख स्कैन कर निविदा के साथ http://etender.up.nic.in पर अपलोड किये जाने होगे। नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(मीरा सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

(नज़ाकत खातून) 22/8/2022
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01 ~~06.~~ सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र .... स्वतन्त्र भारत / हिन्दुस्तान .... को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त निविदा सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक में (12x12 sq.cm) स्थान पर प्रकाशित कराकर निर्धारित दर पर भुगतान हेतु दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

02 ~~07.~~ कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ज़िला पंचायत तथा न0पा0प0 फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

03 ~~08.~~ लेखाकार, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।

04 ~~09.~~ अवर अभियन्ता (जल)/स्टोर कीपर, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।

05 ~~10.~~ गार्ड फाइल।

Received by

(मीरा सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

स्वतंत्र भारत Hindustan

(नज़ाकत खातून) 22/8/2022
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

ई–निविदा सूचना

कार्य क्रमांक 01 की नियम व शर्ते

01. सभी निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क (Non-refundable) GST सहित एवं वांछित 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि ऑनलाइन RTGS के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु IDBI बैंक, फतेहपुर में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर नाम से **खाता संख्या 1060104000145473** व **IFSC Code IBKL0001060** में जमा करना अनिवार्य होगा।
02. निविदा के साथ तकनीकि बिड के अन्तर्गत वांछित (i) निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा रसीद की प्रति, (ii) चरित्र प्रमाण पत्र, (iii) हैसियत प्रमाण पत्र, (iv) आयकर प्रमाण पत्र (पैन) की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां सम्बन्धित प्रपत्र सील बन्द लिफाफे में निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि को निविदा खुलने के पूर्व अपरान्ह 01:00 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय के जलकल अनुभाग में उपलब्ध कराना होगा जिसके पूर्ण पाये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित निविदा की प्राइस बिड खोली जायेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा सम्बन्धित अभिलेखों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
03. कार्य/आपूर्ति के आगणन धनराशि से अधिक का हैसियत प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
04. स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकि जस्टिफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया वर्णित करने हेतु डाली गयी है। ऐसी निविदा मान्य नही होगी।
05. निविदा आवेदन के लिए बायोरेमिडिएशन/फाइटोरेमेडिएशन कार्य करने एवं संचालन करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। जिसका दस्तावेज साक्ष्य के लिए निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
06. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार होगा।
07. किसी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
08. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
09. अनुबन्ध जारी करने के उपरान्त 12 महीने की समयावधि तक एजेन्सी द्वारा 24 घण्टे निगरानी करानी होगी एवं ड्रेनसाइट पर सम्बन्धित प्रति दिन की गतिविधि लॉग बुक स्वयं बना या जाना अनिवार्य होगा।
10. केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
11. समय–समय पर आवश्यकतानुसार BOD, COD, TSS, PH आदि का रिपोर्ट प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जांच कराकर स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्दी एवं पी0पी0ई0 किट स्वयं प्रदान करना होगा।
13. फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट पालिका अवर अभियन्ता के माध्यम से प्रति माह अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने अथवा कार्य में विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिक कार्यवाही जैसे ठेका निरस्तीकरण/अर्थदण्ड अरोपण की कार्यवाही की जा सकती है, इसमें फर्म/ठेकेदार को कोई आपत्ति नही होगी।
14. ठेकेदार को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर फर्म/ठेकेदार द्वारा जमानत धनराशि को जब्त कर सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
15. यह कि स्वीकृत कार्यो के तीन चरण की फोटोग्राफी प्रथम–कार्य प्रारम्भ होने के पहले, द्वितीय–कार्य चलते समय एवं तृतीय–कार्य समाप्त होने के पश्चात स्थल का फोटोग्राफी देना अनिवार्य होगा।
16. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
17. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्य स्थल पर कार्य कराने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में सूची प्रस्तुत करना होगा।
18. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महो0 द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
20. ठेकेदार आपदा सम्बन्धित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा कोविड–19 या किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिया निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
21. निदेशक महोदय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0 TC314/8DLP/2020 दिनांक 01.01.2021 का नियम एवं शर्त निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, जो ई–निविदा के साथ संलग्न है।
22. शा0सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 0.5 प्रति प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 01 प्रतिशत की दर पर परफार्मेन्स गारंटी मनी नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अर्नेस्टमनी के अतिरिक्त अवशेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध पत्र की औपचारिताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
24. ई–निविदा खुलने की तिथि को किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अवकाश की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
25. नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
26. सर्वाधिकार नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मा0 न्यायालय फतेहपुर होगा।

अवर अभियन्ता (जल)
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

ई–निविदा सूचना

कार्य क्रमांक 02 से 08 तक की नियम व शर्ते

01. सभी निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क (Non-refundable) GST सहित एवं वांछित 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि ऑनलाइन RTGS के माध्यम से ई–टेण्डरिंग हेतु IDBI बैंक, फतेहपुर में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर नाम से **खाता संख्या 1060104000145473 व IFSC Code IBKL0001060** में जमा करना अनिवार्य होगा।
निविदा के साथ तकनीकि बिड के अन्तर्गत वांछित (i) निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा रसीद की प्रति, (ii) चरित्र प्रमाण पत्र, (iii) हैसियत प्रमाण पत्र, (iv) आयकर प्रमाण पत्र (पैन) की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां सम्बन्धित प्रपत्र सील बन्द लिफाफे में निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि को निविदा खुलने के पूर्व अपरान्ह 01:00 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय के जलकल अनुभाग में उपलब्ध कराना होगा जिसके पूर्ण पाये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित निविदा की प्राइस बिड खोली जायेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा सम्बन्धित अभिलेखों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
02. कार्य/आपूर्ति के आगणन धनराशि से अधिक का हैसियत प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
03. स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकि जस्टिफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया वर्णित करने हेतु डाली गयी है। ऐसी निविदा मान्य नही होगी।
04. निविदादाता को कार्य/आपूर्ति सम्बन्धी निविदा में प्रतिभाग करने के लिए सम्बन्धित कार्य/आपूर्ति का किसी सरकारी संस्था के अन्तर्गत कार्य/आपूर्ति का अनुभव (न्यूनतम 5 वर्ष) होना अनिवार्य है जिसकी प्रमाणिकता हेतु उस संस्था से जारी प्रमाण पत्र स्कैन कर तकनीकि निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है।
05. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार होगा।
06. किसी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
07. शा0सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 0.5 प्रति प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 01 प्रतिशत की दर पर परफार्मेन्स गारंटी मनी नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
08. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अर्नेस्टमनी के अतिरिक्त अवशेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध पत्र की औपचारिताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।
09. ई–निविदा खुलने की तिथि को किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अवकाश की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
10. नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
11. सर्वाधिकार नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मा0 न्यायालय फतेहपुर होगा।

अवर अभियन्ता (जल)
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।